न्यायालय बईजलास रागिनी डामोर आर.ए.एस सहायक कलक्टर (उपखंड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़(राज0)

दावा संख्या :– 59/2017

1. महेन्द्र कुमार पिता रामेश्वरलाल जी धाकड निवासी नरसिंहपुरा तह0 बेगूॅ
2. किरण पिता रामेश्वरलाल जी धाकड निवासी नरसिंहपुरा तह0 बेगूॅ
3. प्रेमबाई पत्नी स्व0 रामेश्वरलाल जाति धाकड निवासी नरसिंहपुरा तह0 बेगूॅ

वादीगण

बनाम

1. रोशनलाल पिता प्यारचंद्र जी धाकड निवासी नरसिंहपुरा तह0 बेगूॅ
2. शोभालाल पिता प्यारचंद्र जी धाकड निवासी नरसिंहपुरा तह0 बेगूॅ
3. मंजु पिता प्यारचंद्र जी धाकड निवासी नरसिहपुरा हाल पत्नी नन्दकिशोर धाकड निवासी किशोरपुरा तह0 बेगूॅ
4. कमलाबाई पत्नी प्यारचंद्र जी धाकड निवासी नरसिंहपुरा
5. एजन पिता भंवरलाल जी धाकड निवासी नरसिंहपुरा हाल पत्नी जगदीशचन्द्र धाकड निवासी बंदेका रामनगर तह0 बेगूॅ
6. धापू पिता भॅवरलाल जी धाकड निवासी नरसिंहपुरा हाल पत्नी जगदीशचन्द्र धाकड निवासी उमरका खाल तह0 बेगूॅ
7. बरजी पिता भॅवरलाल जी धाकड निवासी नरसिंहपुरा हाल पत्नी बद्रीलाल जी धाकड निवासी गोपालपुरा (दौलतपुरा) तहसील बेगूॅ
8. लाली पिता भॅवरलाल जी धाकड निवासी नरसिंहपुरा हाल पत्नी कन्हैयॉलाल जी धाकड निवासी डोराई तहसील बेगूॅ
9. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर महोदय चितौडगढ़
10. श्रीमान भूमिधारी जी तहसीलदार साहब तहसील कार्यालय, बेगूॅ

प्रतिवादीगण

उपस्थित ::– श्री के.सी.मंत्री
अधिवक्ता वादीगण

निर्णय दिनांक ::– 25.10.2017

निर्णय वाद अ0धा0 88–53 आर0टी0एक्ट

यह कि ग्राम नरसिंहपुरा प0ह0 हल्का माधोपुर तहसील बेगूॅ की वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2072–75 खाता संख्या 77 में वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 से 8 के संयुक्त नाम से निम्नलिखित आराजीयात अंकित स्थित है :–

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर में
36	0.3700
41	0.0200
270	0.2000
272	0.1600
273	0.7700
274	0.6600
297	0.6000
298	0.0500
299	0.5000
300	0.3100
कीता–10 कुल रकबा	3.6400हैक्टर

सहायक कलेक्टर

यह कि कलम संख्या 1 में वर्णित आराजीयात वादीगण एवं प्रतिवादीसं. 1 से 8 की पुश्तैनी मिल्कियत होकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण एवं प्रतिवादीसं0 1 से 8 एक ही परिवार के सदस्य हो परविार का सजरा निम्नानुसार है :–

मोडा
|
भॅंवरलाल — हीरालाल

भॅंवरलाल
|
प्यारचंद एजन धापू बरजी लाली रामेश्वर (गोदगया हीरा के)

हीरालाल
|
रामेश्वर (गोद आया भॅंवरलाल से)

प्यारचंद
|
रोशन शोभालाल मंजू कमला

यह कि कलम सं. 1 में वर्णित आराजीयात पैतृक होकर कलम सं0 2 में वर्णित सजरानुसार वादीगण का उक्त आराजयीात में हिस्सा 1/2 बनता है व हिस्सा 1/2 प्रतिवादी सं0 1 से 8 का बनता है। राजस्व रेकार्ड में सम्वत 2064 से 67 के खाता संख्या 31 में खाता प्यारचंद्र पिता भॅंवरलाल महेन्द्र कुमार किरणकुमारी पिता रामेश्वरलाल प्रेमबाई पत्नी रामेश्वरलाल एजन बरजी धापू लाली पुत्री भॅंवरलाल 1/2 रामेश्वर मुतबन्ना हीरा 1/2 धाकड सा0देह अंकित था जो जरिये नामान्तरण संख्या 270 जो श्री प्यारचंद्र व वादीगण के पूर्वज रामेश्वर की विरासत का खोला गया में राजस्व कर्मचारियों ने त्रुटी करते हुए राजस्व रेकार्ड में अंकित हिस्सो को विलोपित कर खाता सीधे वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 से 8 के नाम अंकित कर दिया जो एक विधि विरूद्ध एवं अवैध कार्यवाही है ।

यह कि वादीगण कमांक 1 व 2 के पिता व 3 के पति रामेश्वरलाल जी भॅंवरलाल जी के जायिन्दा पुत्र होकर हीरा जी के गोद गये एवं भॅंवरलाल जी व हीरा जी दोनो सगे भाई होने से उक्त आराजीयात में भॅंवरलाल जी के वारिसान जो प्रतिवादीसं0 1 से 8 है का हिस्सा 1/2 व हीरा जी के वारिसान वादीगण का हिस्सा 1/2 निहित होकर इसी अनुसार मौके पर अर्सा कदीम से काबिज हो काश्त कर रहे है एवं राजस्व रेकार्ड में भी इसी अनुसार हिस्सा कायम किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है । राजस्व रेकार्ड में पूर्व में भॅंवरलाल जी की विरासत से वादीगण के पिता का भी नाम अंकित किया गया जोह भी गलत होकर विलोपित कियेक जाने योग्य है क्यो कि वादीगण भॅंवरलाल जी के वारिस न होकर हीरा जी के वारिस है एवं हीरा जी का हिस्सा वादीगण के कब्जे काश्त में है जिसे वे अपने नाम घोषित कराने के अधिकारी है ।

यह कि वादीगण ने जब राजस्व रेकार्ड की नकल निकलवाई तो खाता में हिस्स विलोपित करने की जानकारी आई जिसे सही कराने हेतु उप तहसीलदार साहब पारसोली को आवेदन भी करवाया जिन्होने दिनांक 13.6.2016 को हल्का पटवारी जी को शुद्धिपत्र भर कर पेश करने बाबत आदेशित किया किन्तु हल्का पटवारी ने दिनांक 29.6.2016 को यह लिखते हुए कि वारिसान के हिस्से बाबत सक्षम न्यायालय में घोषणात्मक वाद प्रस्तुत कर राहत पाई जा सकती है" प्रार्थना पत्र लौटा दिया जिससे वादीगा को यह वाद वास्ते घोषणा प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई है । यह कि उक्त कलमसं0 1 मेंवर्णित आराजीयात वादीगण एवं प्रतिवादीसं0 1 से 8 की पैतृक होकर वादीगण का हिस्सा 1/2 व प्रतिवादीसं0 1 से 8 का हिस्सा 1/2 वाद पत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित सजरानुसार निहित है व राजस्व रेकार्ड में भी पहले ऐसा ही अंकित था जिससे वादीगण अपना हिस्सा 1/2 की घोषणा करा बाद घोषणा अपना हिस्सा पृथक कराने के कानूनन अधिकारी है वादीगण ने इस बाबत प्रतिवादीगण से दिनांक 08.6.2017 को चल कर कार्यवाही बाबत कहा तो उन्होने साथ चलने से मना कर दिया जिससे वादीगण को यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत है ।

वाद कारण दिनांक 29.6.2016 को हल्का पटवारी द्वारा खाता में की गई त्रुटी को सुधारने से मना करने से एवं प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 8.6.2017 को खाता सही कराने की कार्यवाही से इंकार कर दिये जाने से उत्पन्न होकर हर रोज वर्तमान है ।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

यह कि वादीगण न्यायालय श्रीमान से निम्नलिखित अनुतोष की प्रार्थना करते है कि :-

1- कि पक्ष वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की घोषणात्मक आज्ञप्ति प्रदान की जावे कि वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित ग्राम नरसिहपुरा प.ह.माधोपुर की आराजीयात कीता- 10 कुल रकबा 3.64 हैक्टर भूमि मेंवादीगण का हिस्सा 1/2 व प्रतिवादी सं0 1 से 8 का हिस्स 1/2 निहित है एवं राजस्व रेकार्ड में इसी अनुसार अंकित किया जावें।

2- कि पक्ष वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण बाद घोषणा हिस्सा, आराजीयात का मौकेपर काबिज अनुसार अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी का विभाजन किये जाने की आज्ञप्ति प्रदान की जावें ।

3- कि अन्य कोई सहायकता जो सुलभ वादीगण हो प्रदान की जावे।

उक्त वाद पत्र न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । प्रतिवादीगण सं0 1 से 8 तक की ओर से अधिवक्ता श्री निलेश चेचाणी द्वारा अपना अधिकार पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रतिवादीगण सं0 1 से 8 की ओर से ईकबाली जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादीसं0 3 के पति का नाम नन्दकिशोर न होकर शांतिलाल है जिसे सुधारा जाकर वाद डिकी किया जाने में किसी तरह की आपत्ति नहीं है । अतः प्रार्थना है कि वाद वादीगण डिकी किये जाने का आदेश प्रदान करावें । पत्रावली में ईकबाली जवाब प्रस्तुत होने पर तनकी कायम नहीं की जाकर वादीगण की ओर से साक्ष्य हेतु शपथ पत्र वादी महेन्द्र कुमार के लिए जाकर उनके बयान कलमबद्ध किये गए वादी महेन्द्र ने वक्त बयान पत्रावली में प्रस्तुत सभी दस्तावेज को प्रदर्श कराया । पत्रावली में ईकबाली जवाब होने से प्रतिवादीगण की ओरसे कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई । प्रकरण मे साक्ष्य पूर्ण हो जाने के पश्चात अधिवक्ता वादीगण की एक तरफा बहस को सुना गया । जिन्होने अपनी बहस वाद पत्र अनुसार करते हुए वाद पत्र डिकी किया जाने का निवेदन किया ।

पत्रावली में अधिवक्ता वादीगण की एक तरफा बहस को सुना जाने के पश्चात पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज नकल जमाबंदी मौजा नरसिंहपुरा प.ह.माधोपुर सं0 2072 से 75 का अवलोकन किया गया जो कि प्रदर्श- 1 है । उक्त नकल जमाबंदी में आराजी संख्या 36,41,270,272,273,274,297,298,299,300 कीता- 10 रकबा 3.6400 हैक्टर भूमि के खातेदार श्री रोशनलाल शोभालाल मंजू पिता प्यारचंद्र कमलाबाई स्व.पति प्यारचंद्र एजन बरजी धापू लाली पिता भंवरलाल महेन्द्रकुमार किरण कुमारी पिता रामेश्वरलाल ना.बा.व.वि.माता प्रेमबाई प्रेमबाई स्व. पति रामेश्वरलाल धाकड सा.देह खातेदार दर्ज अंकित है । नकल जमाबंदी सं0 2064 से 67 जो प्रदर्श- 2 है का अवलोकन किया गया जिसमें उक्त आराजीयात के खातेदार प्रतिवादीगण सं. 1 से 8 का नाम 1/2 हक से व वादीगण के पिता रामेश्वरलाल मुत. हीरा 1/2 से दर्ज अंकित है तथा प्रतिवादीगण के में प्यारचंद्र व रामेश्वरलाल के बजाय विरासत से इन्तकाल भी खोला गया है । प्रदर्श- 3 ग्राम पंचायत माधोपुर द्वारा वाद पत्र में अंकित सजरा सही होकर उस सजरे का प्रमाण पत्र भी दिया गया है। प्रदर्श- 4 प्रार्थी जगदीशचन्द्र धाकड द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र जो कि उप तहसीलदार पारसोली को दिनांक 13.6.2016 को प्रस्तुत किया गया जिसमें इन्तकाल संख्या 270 पर दिनांक 10.12.2010 में हिस्सा करा हुआ है तथा 2068 में हिस्सा बिल्कुल भी दर्ज नहीं है हिस्सा दर्ज कराने का निवेदन किया गया है जिसमें पटवारी हल्का माधोपुर द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 29.6.2016 में अंकित किया है कि हिस्सा घोषित कराने हेतु घोषणात्मक वाद दायर कर राहत पायी जा सकती है ।

इस प्रकार पत्रावली में सभी दस्तावेज के अवलोकन से पाया गया कि वाद पत्र मेंदर्शाये गए सजरे अनुसार मोडा जी के दो पुत्र भंवरलाल व हीरालाल थे भॅवरलाल के वारिसान मे प्यारचंद्र एजन धापू बरजी लाली व रामेश्वरलाल हुए जबकि हीरालाल के कोई लडका नहीं होने से उनके भाई भॅवरलाल के पुत्र रामेश्वरलाल को गोद लिया ,जिसके अनुसार वर्णित आराजीयात में भॅवरलाल के वारिसान रामेश्वरलाल को छोडकर हिस्सा 1/2 बनता है तथा हीरालाल के गोदपुत्र रामेश्वरलाल का हिस्सा 1/2 बनता है , पूर्व जमाबंदी में हिस्सा सही लिखा गया था किन्तु बाद में हिस्सा जमाबंदी में अंकित नहीं किया गया जिसे सही दर्ज करवाते हुए वादीगण विभाजन चाहते है । प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की सभी कलम को स्वीकार करते हुए दावा डिकी किया जाने का निवेदन किया है , दस्तावेजी सबूत से भी वाद वादीगण का स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है ।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

अतः वाद वादीगण का अ0धा0 88 आर.टी.एक्ट का स्वीकार किया जाता है मौजा नरसिंहपुरा प. ह. माधोपुर की आराजी संख्या 36,41,270,272,273,274,297,298,299,300 कीता– 10 कुल रकबा 3.6400 हैक्टर भूमि में वादीगण 1 से 3 तक का हिस्सा 1/2 व प्रतिवादीगण सं0 1 से 8 तक का हिस्सा 1/2 घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है ।

प्रतिवादीगण द्वारा सहमत होने से उक्त वर्णित आराजीयात का विभाजन आपसी सहमति के आधार पर तहसील में पृथक से प्रस्तुत कराये जाने का आदेश वादीगण को दिए जाते है ,वादीगण को धारा 53आर.टी.एक्ट में विभाजन की राहत वादीगण व प्रतिवादीगण के आपसी सहमत होने से नहीं दी जाती है ।

निर्णय आज दिनांक 25.10.2017 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

(रागिनी डामोर)
सहायक कलेक्टर
(उपखंड अधिकारी), बेगूँ